पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 वैबसाईट www.ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 1501 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / आई0आर–2 दिनांकः 27 / 08 / 2026

परिपत्र

समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष, पिटकुल,
..।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–894 / I(2) / 20206–05(107) / 2003-(E-45479) दिनांक 12.08.2026 के द्वारा **"उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम–1966"** की धारा–3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अधिसूचना को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों को उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :– यथापरोक्त।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

पत्रांकः / म0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / आई0आर0–2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव–प्रथम / निजी सचिव, निदेशक (मा0सं0) / (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0एवंप्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह इस परिपत्र को संलग्नक सहित पिटकुल की वेबसाईड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
4. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / सूचना पट।

(ए0के0 जुयाल)
महाप्रबन्धक (मा0सं0)(औ0)

Issued (निर्गत) 12/08/2026
Section Officer (अनुभाग अधिकारी)

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग–2,
संख्याः–894/I(2)/20206-05(107)/2003-(E-45479)
देहरादून, दिनांकः12 अगस्त, 2026

:: अधिसूचना ::

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा –3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, उत्तराखण्ड पावर कारर्पोरेशन लि0 तथा पावर ट्रांसमिशन कारर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तात्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा–3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

(डा0 आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–894/I(2)/20206-05(107)/2003-(E-45479), तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी / कुमाऊं मण्डल–नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
5. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड ।
6. संयुक्त निदेशक, प्रभारी मुद्रण एवं लेख सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया उक्त गजट की 100 प्रतियां छाप कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
8. प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएनएल / पिटकुल / यूपीसीएल को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को समस्त कार्यालयों के नोटिसबोर्डों में चस्पा करते हुए अन्य प्रचार माध्यमों से प्रसारित करने का कष्ट करें।
9. मिडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह राणा)
अनु सचिव।

Issued (निर्गत) 12.08.2026.
Section Officer (अनुभाग अधिकारी)

In pursuance of the clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Notification No.891/ I(2)/20206-05(107)/2003-(E-45479) dated.12 August, 2026 for general information.

Government of Uttarakhand
Energy Section-2
No.891/ I(2)/20206-05(107)/2003- (E-45479)
Dehradun, Dated.12. August 2026

:: Notification ::

Whereas, the State Government is satified that in the public interest it is necessary and expedient so to do, Now therefore, the Governor, in excersise of the power under sub section (1) of section-3 of the Uttar Pradesh Essential Service Maintenance Act 1966, (as applicable to the State of Uttarakhand) hereby prohibits with immediate effect strike for six months from the date of publication of this order in ALL CATEGORIES OF STAFF OF UTTARAKHAND JAL VIDHUT NIGAM LTD, UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD AND POWER TRANSMISSION CORPORATION OF UTTARAKHAND LTD, and under sub- section (2) of section-3 of the said Act directs that this order be published in gazette.

(Dr. R.Meenakshi Sundaram)
Principal Secretary

No........../I(2)/2026-05-107/2003, Dated as above.

Copy to:- for information and necessary action to:-

1- Secretary, Home Department, Govt. of Uttarakhand.
2- Director General of Police, Uttarakhnad.
3- Commissioner Garhwal Division- Pauri / Kumaun Division -Nanital.
4- All District Magistrate, Uttarakhand.
5- All SSP, Uttarakhand.
6- Joint Director, Government Printing Press, Roorkee with the request that please publish this notification in the State Gazette Extraordinary on the next date and make available 100 copies to the Government.
7- Chairmain, UERC, Dehradun.
8- Managing Director, Uttarakhand Power Corporation Ltd., Managing Director, Power Transmission Corporation Uttarakhand Ltd., Dehradun
9- Media Centre, Secretariat, Dehradun.
10- Guard File.

By the order of,

(Prem Singh Rana)
Under Secretary